यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलैक्स, सैक्टर ओमेगा–1 (पी–2) ग्रेटर नोएडा (उ0प्र0)
दूरभाष न0 : 0120–2395153/57/58 फैक्स न0 : 0120–2395150

पत्रांक: वाई.ई.ए./सम्पत्ति/138/2012

दिनांक: 20/07/2012

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की 44वीं बोर्ड बैठक की मद संख्या 44/26 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में आवासीय योजना के अन्तर्गत आवंटित भूखण्ड के आवंटी/अंतरिकी की मृत्यु हो जाने पर उत्तराधिकारी के पक्ष में नामांन्तरण तथा आवंटी/अंतरिकी की वसीयत/नॉमिनी के आधार पर नामान्तरण के सम्बन्ध में निम्नानुसार व्यवस्था लागू की जाती है:–

मृत्यु उपरान्त नामान्तरण:

1. आवंटी/अंतरिकी की मृत्यु के उपरान्त नामान्तरण के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा निर्गत उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। यदि यह प्रमाण पत्र, किन्हीं कारणवश, उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में आवेदक (मृतक का वह संबंधी जिसने अपने नाम में नामान्तरण हेतु आवेदन किया हो) द्वारा किसी प्रमुख दैनिक समाचार–पत्र में इस आशय की सूचना स्वयं के व्यय पर प्रकाशित कराई जायेगी कि श्री ..... (मृतक) को आवंटित सम्पत्ति का नामान्तरण आवेदक के पक्ष में किया जा रहा है। इस नामान्तरण पर यदि किसी को आपत्ति हो तो वे 35 दिनों के भीतर प्राधिकरण में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।

2. निर्धारित समय के भीतर यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो आवेदक को सक्षम न्यायालय का उत्तराधिकारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने हेतु कहा जायेगा। यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो निम्नलिखित औपचारिकतायें पूर्ण करने पर नामान्तरण की कार्यवाही निम्नलिखित औपचारिकतायें पूर्ण करने पर सम्पादित कर दी जायेगी।

औपचारिकतायें

i) आवेदक द्वारा नामान्तरण का प्रार्थना–पत्र।

ii) आवेदक की ओर से रूपये 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इन्डेमिनिटी बॉन्ड (नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित)।

iii) रूपये 10/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर (नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित) आवेदक की ओर इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा कि मृतक आवंटी से उनका क्या सम्बन्ध है, उनके उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार कौन–कौन कानूनी उत्तराधिकारी है तथा आवेदक उक्त सम्पत्ति का अपने नाम में हस्तान्तरण कराना चाहते हैं।

iv) अन्य सभी उत्तराधिकारियों के आवेदक के पक्ष में सम्पत्ति नामान्तरण हेतु कोई आपत्ति नहीं है, के शपथ–पत्र रूपये 10/– के पृथक पृथक स्टाम्प पेपर पर दिये जाने होंगे।

v) आवेदक तथा समस्त उत्तराधिकारियों के फोटोग्राफ्स तथा हस्ताक्षर (राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित) प्रस्तुत करने होंगे। सत्यापन में राजपत्रित अधिकारी का नाम, पदनाम एवं कार्यालय की मुहर तथा दूरभाष संख्या स्पष्ट रूप से उल्लेखित होनी आवश्यक है।

vi) सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति।

vii) प्रोसेसिंग शुल्क मद में रूपये 1000/– के भुगतान की रसीद की प्रति।

वसीयत के आधार पर अन्तरण/ नामान्तरण

1. आवंटी की मृत्यु के उपरान्त वसीयत के आधार पर नामान्तरण करने के लिए वसीयता को प्रोबेट कराने की आवश्यकता नहीं है परन्तु वसीयत के आधार पर अन्तरण तभी किया जायेगा जब लाभार्थी द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र दिया जाये कि प्रश्नगत वसीयत अन्तिम वसीयत है और उसे खंडित नहीं किया गया है।

(78)

2. वसीयत के आधार पर नामान्तरण के पूर्व लाभार्थी द्वारा किसी प्रमुख दैनिक समाचार–पत्र में इस आशय की सूचना स्वयं के व्यय पर प्रकाशित कराई जायेगी कि श्री ..... (मृतक) को आवंटित सम्पत्ति का नामान्तरण वसीयत के आधार पर आवेदक के पक्ष में किया जा रहा है। इस नामान्तरण पर यदि किसी को आपत्ति हो तो वे 35 दिनों के भीतर प्राधिकरण में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।

3. निर्धारित समय के भीतर यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो आवेदक को सक्षम न्यायालय का उत्तराधिकारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने हेतु कहा जायेगा। यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो निम्नलिखित औपचारिकतायें पूर्ण करने पर, वसीयत के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही निम्नलिखित औपचारिकतायें पूर्ण करने पर सम्पादित की जायेगी–

<u>औपचारिकतायें</u>

i) वसीयत के आधार पर नामान्तरण के पूर्व लाभार्थी द्वारा रू0 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्ति बन्धनामा देना होगा।

ii) आवेदक का फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर (राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित) प्रस्तुत करने होंगे। सत्यापन में राजपत्रित अधिकारी का नाम, पदनाम एवं कार्यालय की मुहर तथा दूरभाष संख्या स्पष्ट रूप से उल्लेखित होना आवश्यक है।

iii) सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति।

iv) प्रचलित हस्तान्तरण शुल्क तथा प्रोसेसिंग शुल्क मद में रूपये 1000/– के भुगतान की रसीद की प्रति। यदि वसीयत ब्लडरिलेशन की श्रेणी में है तो हस्तान्तरण शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।

<u>नॉमिनी के आधार पर अंतरण / नामान्तरण</u>

यदि आवंटी द्वारा अपने जीवन काल में अपनी मृत्यु के उपरान्त सम्पत्ति के स्वामित्व के लिए निर्धारित प्रारूप निर्दिष्ट स्थान पर कार्यालय में नॉमिनेशन पत्र जमा किया है तो निम्नलिखित औपचारिकतायें/प्रपत्र प्राधिकरण में जमा करने होंगे:–

<u>औपचारिकताये</u>

i) जिसके पक्ष में नामिनेशन किया गया है, उसके द्वारा प्रार्थना पत्र।

ii) मृत्यु प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छाया प्रति, जो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होगा।

iii) रूपये 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्ति बन्धनामा देना होगा जो नोटरी द्वारा सत्यापित हो।

iv) नॉमिनी व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं फोटो, नाम, पिता/पति का नाम एवं पता सहित किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा।

v) प्रचलित हस्तान्तरण शुल्क तथा प्रोसेसिंग शुल्क मद में 1000/– के भुगतान की रसीद की प्रति। यदि नॉमिनी के आधार पर अन्तरण/नामान्तरण ब्लडरिलेशन की श्रेणी में है तो हस्तान्तरण शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।

(पी०सी० गुप्ता)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ।
2. गार्ड फाइल।

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी